म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-तौलकांटा/266/2022-23/1316 भोपाल, दिनांक 14/12/2022

प्रति,

01. संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय--------------(समस्त)

02. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग--------------(समस्त)

विषय- मंडी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/बी-7/2/तौलकांटा/14/2018-19/397 दि. 17/10/2019 के संशोधन प्रारूप पर प्रस्ताव बावत।

प्रदेश की कृषि मंडी समिति/उपमंडियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर इलेक्ट्रानिक बे-ब्रिज स्थापना एवं संचालन हेतु मंडी बोर्ड द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 17/10/2019 में योग्य संशोधन हेतु दिनांक 16/12/2022 तक योग्य प्रस्ताव आमंत्रित है।

कृपया समय-सीमा में उपयोगी प्रस्ताव उक्त तिथी तक इस कार्यालय को property.mpsamb@gmail.com में उपलब्ध करावे।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-तौलकांटा/266/2022-23/1317 भोपाल, दिनांक 14/12/2022

प्रतिलिपि -

(1)- निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, मंडी बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(2)- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति --------------(समस्त) की ओर योग्य सुझाव उक्त समय-सीमा में property.mpsamb@gmail.com में प्रेषित करे।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

(10)

क्रमांक/बी–7/2/तौ.का./14/2018–19/397 भोपाल, दिनांक 17.10.2019

परिपत्र

विषयः– प्रदेश की मंडी समितियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट, आनरेट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौल–कांटे की स्थापना एवं संचालन करने बावत् नवीन दिशा निर्देश ।

---00---

प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में आने वाली कृषि उपज की तौल बी.ओ.टी. के आधार पर स्थापित एवं संचालित तौल कांटों से कराये जाने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश बोर्ड के पत्र क्रमांक/बी–7/2/तौ0कांटा/14/204 भोपाल, दिनांक 15.06.2010 तथा पत्र क्रमांक/बी-7/2/तौ0कांटा/14/324 भोपाल, दिनांक 02.11.2011 एवं क्रमांक/बी–7/2/तौ.का./14/2627 भोपाल, दिनांक 14.12.2015 एवं क्रमांक/बी–7/2/बी.ओ.टी./3478 दिनांक 13.04.2017 एवं क्रमांक/बी–7/2/तौ.कां./14/1259 दिनांक 02.02.2018 द्वारा जारी किये गये थे। बी.ओ.टी. पर स्थापित तौल कांटों से तौल कराये जाने की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदित व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उल्लेखित सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम–2009 के नियम–20 (1) (एक) में प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों में बी0ओ0टी0 तौल–कांटों की स्थापना के नवीन निर्देश, अनुज्ञप्ति तथा करार के निबंधन की शर्ते जारी किये जाते हैः–

01. मंडी समिति के प्रांगण में आने वाली कृषि उपज का आंकलन कर बी.ओ.टी पर तौल कांटों की स्थापना की आवश्यकता/औचित्य का निर्धारण किया जावेगा तथा तदाशय का प्रस्ताव मंडी समिति अपने नियमित सम्मेलन में पारित करेगी ।

02. मंडी समिति बी.ओ.टी. पर लगाये जाने वाले कांटों की स्थापना हेतु मंडी में उपलब्ध स्थानों में से ऐसे स्थान का चयन किया जावेगा, जहाँ प्रांगण में आने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो। मंडी समिति कंडिका–1 में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण भी प्रस्तुत करेगी। उक्त प्रयोजन के लिए यदि स्थान चिन्हित न हो तो समिति लेआउट में तदानुसार संशोधन भी सुनिश्चित करेगी।

03. बी.ओ.टी तौलकांटा संचालक अपने व्यय पर बाहर से आने वाले वाहनों की निगरानी हेतु बाहर की तरफ एवं तौलकांटे से तुलाई की स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्थापित कक्ष के अंदर सी.सी.टी.वी कैमरे लगायेंगे एवं तुलाई उपरांत बाहर जाने वाले वाहनों की निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे भी स्थापित करेगा।

04. तौल कांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अवधि 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष की समयावधि के उपरान्त 10-10 वर्ष के लिए तौलकांटा संचालन की अवधि में वृद्धि मंडी समिति द्वारा अनुबंध की निर्धारित शर्तों पर की जावेगी, जिसमें यह शर्त अनिवार्य रूप से होगी कि संचालनकर्ता के द्वारा अद्यतन तकनीकी का इस्तेमाल किया जावेगा और तौलकांटे में आवश्यक उपकरण यदि बदलने योग्य हो तो संबंधित तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बदलना होगा। आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आकार अधिकतम 20X10 वर्ग मीटर होगा। उपरोक्त सीमा से कम आवश्यकता होने पर उसी आकार मात्र के भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा। इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत पूर्व के जिन अनुबंधों की 20 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी समयावधि 10-10 वर्ष बढाने की कार्यवाही की जावेगी।

05. आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का किराया निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा। उक्त भूखण्ड के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जावेगी।

06. मंडी समिति में स्थापित किये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटे पर कृषि उपज की तौल के लिये प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि के लिये तुलाई की दरें निर्धारित करना होगी, जो भूखण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित रहेगी। इन दरों को समय-समय पर संशोधन करने के अधिकार मात्र मंडी समिति को ही होंगे। यह समयावधि एक वर्ष से कम नहीं होगी। परन्तु बढ़े हुए व्यय के तारतम्य में तुलाई की दरें भी प्रति 05 वर्ष पश्चात् मंडी समिति एवं तौलकांटा संचालक की आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेंगी। यह प्रावधान उक्त परिपत्र जारी होने के दिनांक से नये अनुबंधों पर मान्य होगा।

07. न्यूनतम प्रीमियम का निम्नानुसार होगी।

"क" श्रेणी	राशि रू. 75,000.00
"ख" श्रेणी	राशि रू 50,000.00
"ग" श्रेणी	राशि रू. 35,000.00
"घ" श्रेणी	राशि रू. 25,000.00
उपमण्डी हेतु	राशि रू. 20,000.00

08. तौलकांटे हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए ई-टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे तथा निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र, जिसका प्रसार सर्वाधिक हो, में भी किया जावेगा। निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रूपये 1,000/- होगी।

09. तौलकांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ निम्नानुसार धरोहर राशि सचिव, कृषि उपज मंडी के नाम पर एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी।

मण्डी संवर्ग	जमा की जाने वाली धरोहर राशि
क	1,00,000.00 रूपये
ख	75,000.00 रूपये
ग	50,000.00 रूपये
घ	25,000.00 रूपये

10. उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदाओं को खोलने की कार्यवाही निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जावेगी:-

01. अध्यक्ष, मंडी समिति/भार साधक अधिकारी,
02. कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी,
03. संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय अथवा उनके प्रतिनिधि,
04. तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में सहायक यंत्री,
05. मंडी समिति के निर्वाचित 2 सदस्य, जिसमें एक महिला हो,
06. निर्वाचित व्यापारी सदस्य/ व्यापारी एसोसिएशन का सदस्य
07. सचिव, मंडी समिति – ये संयोजक सदस्य होंगे।

सामान्यतः उक्त समिति प्राप्त निविदाओं का परीक्षण करेगी। बैठक में अध्यक्ष मण्डी समिति, कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी, संयुक्त संचालक/उप संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि तथा समिति में नामांकित मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित होने पर ही सचिव, मण्डी समिति द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। मंडी समिति द्वारा सभी अर्हताएँ पूर्ण करने वाले निविदाकारों में उपरोक्तानुसार निर्धारित किराये के अलावा वार्षिक प्रीमियम की अधिकतम दर देने वाले निविदा के निर्धारण हेतु तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर अनुशंसा करेगी। समिति की अनुशंसा अनुसार अधिकतम प्रीमियम का आफर

देने वाले निविदाकार की निविदा मंडी समिति द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं कार्यादेश देने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

11. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम के 50% राशि अतिरिक्त रूप से जमा की जावेगी।

12. अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगा। भू–खण्ड के किराये का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा। एवं संबंधित तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

13. परिपत्र की कण्डिका क्रमांक–9 अन्तर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक–11 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (Secured Advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।

14. निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएं उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा।

उपरोक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जावेगी।

अनुमोदित निविदा प्रपत्र, निविदा आमंत्रण सूचना तथा निविदा की शर्तों एवं अनुबंध का प्रारूप परिपत्र के साथ संलग्न है।

15. तौल–कांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल–कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी। निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौल कांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी। नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी। यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी। नियत अवधि में तौलकांटा संचालक से

अनिवार्य रूप से प्रीमियम की वसूली मंडी समिति द्वारा की जावेगी. इसके लिये मंडी सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।

16. तौल–कांटा संचालक को तौल कांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संचालक पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौल कांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी। आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौल कांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

17. अगर कोई तौल–कांटा संचालक तौल कांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।

18. बी.ओ.टी आधार पर तौल कांटा लगाने के लिये व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को "तौल–कांटा संचालक" कहा जावेगा।

19. ऐसी स्थिति में जहाँ मंडी समिति में पूर्व से बी.ओ.टी के आधार पर तौल कांटा स्थापित है एवं मंडी समिति में आने वाली कृषि उपज की तौल सुचारु रूप से इस कांटे पर नहीं हो सकने के कारण एक अतिरिक्त तौल कांटा स्थापित किया जाना हो तो अतिरिक्त तौल कांटा लगाने के पूर्व उसकी उपयोगिता का सूक्ष्म परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया जावेगा एवं अतिरिक्त तौल कांटा लगाये जाने के निर्णय की स्थिति में नये तौलकांटे (पूर्व स्थापित कांटे से भिन्न क्षमता) की स्थापना बी.ओ.टी. के आधार पर होगी तथा वर्तमान तौलकांटा संचालनकर्ता को उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त अधिकतम दरों के समान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा। यदि वह उक्त दरों पर कार्य करने से सहमत है तो उसको अतिरिक्त तौलकांटा स्थापित करने के आदेश दिये जायेंगे। यदि वह सहमत नहीं होता है तो जिस निविदाकार द्वारा उच्च दरें दी गयी हैं उसको तौलकांटा स्थापित करने के लिए आदेश दिये जायेंगे। इस निविदा आमंत्रण में उक्त शर्त को "विशेष शर्त के रूप में" निविदा प्रपत्र में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि इस निविदा प्रक्रिया से प्राप्त उच्च दरों पर वर्तमान तौलकांटा संचालक स्थापित करने का इच्छुक होगा तो संबंधित निविदाकार द्वारा निविदा प्रक्रिया में किया गया व्यय वर्तमान तौलकांटा संचालक को वहन करना अनिवार्य होगा। यदि वर्तमान तौलकांटा संचालक अतिरिक्त तौलकांटा लगाने हेतु सहमत होता है तो उसे 01 माह की अवधि में कांटा स्थापित करना आवश्यक होगा, साथ ही निर्धारित

धरोहर राशि एवं 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि आदि देय राशियां भी यथा समय जमा करना आवश्यक होगा।

20. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाले तौल कांटे के संचालन की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौल कांटे तथा इसके संचालन के लिये निर्मित की गई समस्त संरचनाएँ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी। मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी। किसी भी मंडी प्रांगण में दो से अधिक तौलकांटे स्थापित नहीं किये जाएँगे।

21. तौल कांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर तौल कांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कंडिका–6 में गठित समिति द्वारा कर, अभिमत दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मंडी समिति कार्यवाही कर सकेगी। अन्तरण मान्य होने पर पूर्व तौल कांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका क्रमांक–8 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौल कांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौल कांटा संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा। उपरोक्त के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।

22. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (Secured Advance) राशि को वापिस की जायेगी। परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्त्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (Secured Advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबधकर्त्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जावेगी।

23. यदि कोई मंडी नवीन मंडी प्रांगण में स्थानांतरित होती है तो मंडी का क्रय–विक्रय नवीन मंडी प्रांगण में स्थानांतरित होने से पुराने मंडी प्रांगण में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटा नवीन मंडी प्रांगण में वरिष्ठालय की अनुमति से

स्थापित किया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया
जावेगा, परन्तु उक्त तौलकांटा नवीन प्रांगण में स्थानान्तरण करने [illegible]
तकनीकी रिपोर्ट संबंधित तकनीकी अधिकारियों से प्राप्त की जाना होगी [illegible]
रिपोर्ट उपयुक्त होने पर ही स्थानान्तरण की कार्यवाही होगी अन्यथा नवीन मंडी
प्रांगण में नये तौलकांटे को नये सिरे से स्थापित करने की कार्यवाही [illegible]
होगी।

24. तौल–कांटे की स्थापना का कार्य आई.एस. 9281 वर्ष 1979 अद्यतन संशोधन [illegible]
2014 से एवं आई.एस. [illegible] (part 1)–2018 से निर्धारित मापदण्डों के [illegible]
कराया जावेगा। इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, [illegible]
संभाग स्तर से किये जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जावेगा। कार्यपालन
यंत्री का दायित्व होगा कि ऐसे नये स्थापित तौलकांटे की जानकारी मुख्यालय
को अविलंब प्रेषित कर।

25. तौल कांटे की स्थापना एवं रख–रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण [illegible] तौल
कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार तौल–कांटे के संचालन
पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौल कांटा संचालक [illegible]
किया जावेगा।

26. तौल–कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौल कांटा संचालक [illegible]
पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा।
केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकेगी कि
छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी [illegible]
अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व [illegible]
बी.ओ.टी. तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।

27. तौल–कांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम
की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी।
उपविधि 2000 की कंडिका 24(5) एवं (7) के प्रावधान तौल कांटा संचालक पर
लागू रहेंगे।

28. तौल–कांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी। यदि कृषक
स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी
तौल पहले करना होगी, किन्तु मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि
उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर जारी
होने वाली अनुज्ञा एवं अन्य संबंधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक
वजन का सत्यापन बी.ओ.टी./मंडी एवं उपमंडी प्रांगण में स्थापित बड़े तौल
कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रावधान ई–अनुज्ञा पर भी लागू होगा
ई–अनुज्ञा में भी मंडी में स्थापित बड़े तौलकांटें अथवा बी.ओ.टी तौलकांटे पर

वजन कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा। जारी की जाने वाली अनुज्ञा में मंडी द्वारा स्थापित या बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित तौलकांटे की पर्ची नं. दर्ज किया जाना आवश्यक है।

मंडी द्वारा जारी अनुज्ञाओं का विवरण बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को मांगने पर दिया जाना अनिवार्य होगा। मंडी प्रांगण के बाहर किसी भी स्थिति में अनुज्ञा जारी किया जाना प्रतिबंधित किया जाता है।

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटो पर यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था अपने गैर कृषि जिन्सों का तौल करना चाहती है तो ऐसे वाहनों की तौल बी.ओ.टी. तौलकांटों पर की जा सकती है, जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से की जावेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हो एवं मंडी की आय तथा आवक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करना मंडी सचिव का दायित्व रहेगा।

29. तौल कांटा संचालक द्वारा तौल-कांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा । नियत अवधि में किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी।

30. तौल कांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौल-कांटे का उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल-कांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौल-कांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

31. तौल-कांटे तक आवागमन हेतु डब्ल्यू0बी0एम0 या डामरीकृत सड़क का निर्माण मंडी समिति द्वारा स्वयं किया जावेगा।

32. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्यूट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिक आधार पर तौल-कांटा संचालक द्वारा संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही बी.ओ.टी. तौलकांटे द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु तौलकांटे के इन्डीकेटर/मशीन को मंडी के एम.आई.एस. सिस्टम से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार मंडी द्वारा जारी की

जारी वाली अनुज्ञाओं की जानकारी भी मासिक रूप से मुख्यालय को एवं बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को देना अनिविार्य होगा।

33. तौल–कांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा ।

34. तौलकांटा संचालक पर कान्ट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ–साथ समय–समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/निर्देश, तौल–कांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। तौल संबंधी किसी अपराध के लिए अनुबंधों के प्रावधानों के तहत एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं म.प्र विधिक अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

35. तौल कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप–तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांट की खराबी 48 घंटे तक ठीक नही की गई तो रू. 1000/प्रतिदिन के हिसाब पैनाल्टी ली जावेगी। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु मापतौल के नियमानुसार 1 टन के क्षमता के मानक बांट आवश्यक है जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बांट कुल–1000 कि.ग्रा मानक वजन/बांट भी हर समय तौल–कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप–तौल निरीक्षक से स्टेंपिग करवाना अनिवार्य होगा।

36. इस परिपत्र के जारी होने के दिनाक से प्रदेश की मंडी/उपमंडी प्रांगणों मे 10 मे.टन क्षमता के इलेक्ट्रानिक तौलकांटे लगाना प्रतिबंधित किया जाता है एवं उच्च क्षमताओं के यथा 30, 50, 60 80,100 मे.टन आदि क्षमताओं के तौलकांटे स्थापित किये जायेंगे, जिनमें 10 मे. टन क्षमता के तौलकांटे होने वाली तौल के सभी फीचर्स उपलब्ध हों। मंडी प्रांगणों में स्थापित बी.ओ.टी तौलकांटा की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जावेगा जिसकी सूक्ष्म परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जावेगा। यह कार्य तौलकांटा संचालक के व्यय पर किया जावेगा।

37. तौल–कांटा आवटन मे विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल–कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

38. बी.ओ.टी. के आधार पर तौल–कांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौल–कांटा संचालक द्वारा

उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौल–कांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

39. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल होंगे, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

40. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–7 / 2 / तौ.का. / 14 / 2018–19 / 358 भोपाल, दिनांक 17 .10.2018 20

प्रतिलिपिः–

01. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मंडी बोर्ड, भोपाल।

02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।

03. कलेक्टर, जिला–.................................... ।

04. अपर संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।

05. अपर संचालक (समन्वय) मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों की मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा में बी0ओ0टी0 तौल–कांटों की स्थापना के विषय को सम्मिलित करें।

06. मुख्य अभियंता, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।

07. अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / निर्माण शाखा मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।

08. संयुक्त संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

09. उप संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

10. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त) की ओर भेजते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों में बी0ओ0टी0 तौल–कांटे की स्थापना के विषय को उनके स्तर पर की जाने वाली मासिक समीक्षा के निर्धारित एजेण्डा में सम्मिलित करें।

11. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, समस्त की ओर पालनार्थ

12. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/X/19

प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

O/C

"निविदा आमंत्रण सूचना"

कृषि उपज मण्डी समिति.............................द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बी.ओ.टी.) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक.................... को...............तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रूपये)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत

शर्ते :-

01. स्थापित कराए जाने वाले बी.ओ.टी तौलकांटे हेतु तुलाई की दरें निम्नानुसार रहेगी :-
    01. प्रति ट्राला ....
    02. प्रति ट्रक ....
    03. प्रति ट्राली ....
    04. प्रति बैलगाड़ी....................................
    05. हाथ ठेला ....

02. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर जारी किए जाएंगे।
03. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक निविदाकरों को पंजीयन करना होगा।
04. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को धरोहर राशि रूपये .... का राष्ट्रीय/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. जो सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.......................के नाम से देय की मूल प्रति बिड के अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक .... तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना है।
05. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि ....है।

06. नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

07. फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं स्वरूप के ऑनलाईन निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की वैद्य स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना होगी।

(a) Registrations of firm/establishment (गुमास्ता)।

(b) PAN No.

(c) Vat Registrations

(d) Tax Clearance certificate of previous year.

(e) Affidavit on Rs.1000/- stamp stating that documents submitted Physically/ Online are correct & No close relative.

08. व्यक्तिगत निविदाकार द्वारा क्रमांक-07 में उल्लेखित दस्तावेज सफल निविदाकार होने पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मण्डी समिति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

09. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां दिनांक .... तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्रस्तुत करें :-
"सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ...जिला...................."

<u>टेण्डर शेड्यूल</u>

01.	निविदा प्रपत्र क्रय करने की दिनांक	....
02.	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक	....
03.	निविदा बिड Submission end Date	....
04.	वित्तीय ऑफर खोलने की दिनांक एवं समय	....

सचिव	अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति	कृषि उपज मण्डी समिति
......................जिला..................	......................जिला..................

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,.......................जिला.........................(म.प्र.)

वी.ओ.टी.आधार पर तौल कांटा स्थापना एवं संचालन का ''निविदा प्रपत्र''

01. निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम - ....

....

02. निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म का वाणिज्यिक रजिस्ट्रेशन का प्रकार /निर्माता/अधिकृत एजेन्ट/अन्य - ....

....

....

03. फर्म का [illegible] विवरण व पदाधिकारियों की सूची - ....

....

04. अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता आवश्यक समझे - ....

....

05. जमा की गई धरोहर राशि का विवरण -

एफ.डी.आर.क्रमांक	बैंक का नाम	दिनांक	राशि रूपये

06. पत्र व्यवहार का पता - ....

....

....

दूरभाष क्रमांक..

मोबाईल नंबर ....

ई-मेल ....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,..............................जिला..............................(म.प्र.)

परिशिष्ट - ''ब''

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तो को पढ़कर समझ लिया है। मण्डी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है। यदि मण्डी समिति बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांट स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो मैं/हम अनुबंध हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे। (संलग्न विस्तृत शर्ते)

01. इलेक्ट्रानिक तौलकांटे की क्षमता -:..................................

02. वार्षिक प्रीमियम की राशि अंकों में रूपये -:..................................

शब्दों में रूपये -:..................................

03. प्रस्तावित तौलकांटे का मेक/मॉडल -:..................................
(यदि निविदा के समय दिया जाना संभव हो तो।)

दिनांक ....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर..................................

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,....................जिला.........................(म.प्र.)

(मुख्य मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण)

बी.ओ.टी.आधार पर तौलकांटा स्थापना की विस्तृत शर्तें

01. तौलकांटा स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन किराए पर किया जावेगा तथ आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी। तौलकांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अवधि 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष की समयावधि के उपरान्त पुनः 10-10 वर्ष के लिए तौलकांटा संचालन की अवधि में वृद्धि मंडी समिति द्वारा अनुबंध की निर्धारित शर्तों पर की जावेगी, जिसमें यह शर्त अनिवार्य रूप से होगी कि संचालनकर्ता के द्वारा अद्यतन तकनीकी का इस्तेमाल किया जावेगा और तौलकांटे में आवश्यक उपकरण यदि बदलने योग्य हो तो संबंधित तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बदलना होगा। आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आकार अधिकतम 20X10 वर्ग मीटर होगा। उपरोक्त सीमा से कम आवश्यकता होने पर उसी आकार क्षेत्र के भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा। इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत पूर्व के जिन अनुबंधों की 20 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी समयावधि 10-10 वर्ष बढ़ाने की कार्यवाही की जावेगी।

02. आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड का किराया कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग............ द्वारा मासिक दर रूपये ....निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के किराए में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति 03 वर्ष में मण्डी समिति द्वारा की जावेगी।

03. बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटा लगाने के लिए व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होगी तथा सफल निविदाकार को **"तौलकांटा संचालक"** कहा जाएगा।

04. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किए जाने वाले तौलकांटे के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौलकांटे तथा इसके संचालन के लिए निर्मित की गई समस्त संरचनाएं यथावत मण्डी समिति को हस्तान्तरित की जावेगी। मण्डी समिति इस व्यवस्था के हस्तान्तरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मण्डी समिति के स्वामित्व की मानी जाएगी।

05. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात् 15 कार्य दिवस के अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भूखण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा। निष्पादित किए जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएं उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयन कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जाएगी।

06. तौलकांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रूपय ....(शब्दों में रूपये)........................ सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, के नामे राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल बैंक के माध्यम से एफ.डी.आर.के रूप में जमा की जाएगी।

07. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम के 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप में जमा की जाएगी।

08. परिपत्र की कण्डिका क्रमांक-13 अंतर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (Secured Advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध तक जमा रहेगी।

09. मण्डी समिति में स्थापित किए जाने वाले बी.ओ.टी. तौलकांटे पर कृषि उपज की तौल के लिए प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि वाहनों के लिए तुलाई की दरें मण्डी समिति द्वारा निविदा बुलाने के पूर्व निर्धारित की जाएगी तथा उनका विवरण निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया जाएगा। इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मण्डी समिति को ही होंगे। तौलकांटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से वसूल नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मण्डी समिति सक्षम रहेगी।

10. फर्म/संस्था/सहकारी/संस्थाएं स्वरूप के निविदाकारों के लिए आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन (PAN) तथा वेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन एवं विगत वर्ष का टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत निविदाकार यदि सफल निविदाकार होता है तो उसे कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार अभिलेख मण्डी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिकूल स्थिति में उसके धरोहर राशि एवं अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम की जमा राशि राजसात की जाकर पुनः नियमानुसार निविदा की कार्यवाही करने के लिए मण्डी समिति सक्षम रहेगी।

11. तौलकांटे की स्थापना का कार्य भारतीय मानक 9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित वर्ष 2014 एवं आई.एस.16514 पार्ट-1-2018 से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा। इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग स्तर से किए जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जाएगा।

12. तौलकांटे की स्थापना एवं रख-रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार तौलकांटे के संचालन पर प्रतिदिन होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जावेगा।

13. तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट एव केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकती है कि छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।

14. तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मण्डी समिति से तुलैया की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उपविधि 2000 की कंडिका 24(5) एवं (7) के प्रावधान तौलकांटा संचालक पर लागू रहेंगे।

15. तौलकांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी। यदि कृषक स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करना होगी, किन्तु मण्डी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किए जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन बी.ओ.टी./अन्य बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा।

16. तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराए का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मण्डी समिति को अग्रिम करना होगा। नियत तिथि तक किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराए का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी।

17. तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों में पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

18. तौल हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। मैकेनिकल तौलकांटे नहीं लगाए जाएंगे। कम्प्यूटरीकृत रसीद का रिकार्ड मासिक आधार पर तौल-कांटा संचालक द्वारा संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही बी.ओ. टी. तौलकांटे द्वारा नापतौल की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु तौलकांटे के इन्डीकेटर/मशीन को मंडी के एम.आई.एस. सिस्टम से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार मंडी द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञाओं की जानकारी भी मासिक रूप से मुख्यालय को एवं बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को देना अनिवार्य होगा।

19. तौलकांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मण्डी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मण्डी समिति द्वारा की जावेगी। निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अंदर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाए गए कक्ष तौलकांटा आदि संरचनाएं मण्डी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी। नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जाएगी, यदि राशि कम पडती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

20. तौलकांटे कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मण्डी बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा।

21. तौलकांटा संचालक पर कान्ट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र संशोधन पत्र/निर्देश, तौलकांटा संचालक पर बन्धनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

22. तौलकांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलम्ब ठीक करना होगा तथा नापतौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु मापतौल के नियमानुसार 1 टन के क्षमता के मानक बांट आवश्यक है, जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बांट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इस मानक वजन/बांटों का भी प्रतिवर्ष नापतौल निरीक्षक से स्टेम्पिंग करना अनिवार्य होगा।

23. तौलकांटा संचालक को तौलकांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अन्दर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए समय की गणना तौलकांटा आवंटन के दिनांक से 03 माह बाद से की जावेगी। आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौलकांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौलकांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

24. अगर कोई तौलकांटा संचालक तौलकांटे हेतु निर्धारित प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराए में 50% की छूट की पात्रता होगी।

25. तौलकांटा संचालक मण्डी प्रांगण में बी.ओ.टी.आधार पर तौलकांटा स्थापित करने एवं सफलतापूर्वक संचालित करने की न्यनूतम 03 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्ही कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तान्तरित कर सकता है। इसके लिए उसे पूर्ण प्रस्ताव मण्डी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कंडिका-6 में गठित समिति द्वारा कर अभिमत दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मण्डी समिति कार्यवाही कर सकेगी। अन्तरण मान्य होने पर

पूर्व तौलकांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कंडिका क्रमांक/21 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मण्डी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौलकांट संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बन्धन तौलकांटा संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा। उपरोक्त के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि के लिए रहेगी।

26. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (Secured Advance) राशि को वापिस की जाएगी। परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (Secured Advance) राशि जमा नहीं की जाएगी तब तक अप्रथम अनुबंधकर्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जाएगी।

27. बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित कराए गए तौलकांटे की क्षमता को दोनों पक्षों की सहमति से यदि आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना हो तो इसके लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा जिसकी सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त निर्णय लिया जावेगा। यह कार्य तौलकांटा संचालक के व्यय पर किया जावेगा।

28. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं परदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर अथवा नियम विरूद्ध आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

29. बी.ओ.टी.के आधार पर तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौलकांटा संचालक द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किए जाने के पूर्व तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

30. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

31. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय, भोपाल रहेगा।

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला.................	अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला..................

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर.................

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....